न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 18 / 2022 **दायर दिनांकः 03 / 06 / 2022**

रजि0 नं0—2022 / 126

उनवान

1. रामभरोसीबाई आयु 55 वर्ष पत्नी रामप्रसाद पुत्री नेनगा जाति सहरिया निवासी शेरगढ हाल मुकाम कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

आदेश

दिनाकः 20 / 06 / 2023

पत्रावली प्रशासन गावों के संग कैम्प शेरगढ में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आश्य का पेश किया है कि ग्राम एवं माल शेरगढ तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी 2071—74 के अनुसार खाता संख्या 31 का ख.नं. 110 की 0.19 है0, ख0नं0 111 की 0.18 है0, ख0नं0 113 की 0.23 है0, ख0नं0 119 की 0.28 है0, ख0नं0 120 की 0. 36 है0, ख0नं0 176 की 0.11 है0, ख0नं0 177 की 0.22 है0, ख0नं0 178 की 0.14 है0, ख0नं0 180 की 0.07 है0, ख0नं0 183 की 0.16 है0, ख0नं0 184 की 0.18 है0 कुल 11 किता की 2.12 है0 भूमि प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1 / 160 दर्ज खाता चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया का नाम नुरका पुत्री नेनगा सहवन से खाते में दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। प्रार्थिया का वास्तविक राम रामभरोसीबाई पत्नी रामप्रसाद पुत्री नेनगा है जो प्रार्थिया के जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड व बैंक डायरी में भी अंकित है तथा ग्राम

पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर भी उसका वास्तविक नाम रामभरोसीबाई पुत्री नेनगा ही है। प्रार्थिया की उक्त वर्णित भूमि को वन विभाग द्वारा अधिग्रहण करने पर व उसकी मुआवजा राशि आने पर जानकारी हुई की प्रार्थिया का नाम नकल जमाबन्दी में नुरकाबाई दर्ज है। जिस पर प्रार्थिया ने अपने जन आधार कार्ड, राशनकार्ड व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अप्रार्थी से अपना नाम दुरूस्त करवाकर नुरका पुत्री नेनगा के स्थान पर रामभरोसीबाई पुत्री नेनगा करने का निवेदन किया तो उनने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। इस वजह से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थिया की भूमि ग्राम व माल शेरगढ तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण प्रार्थिया को दिनांक 25.03.2022 को जानकारी होने पर अप्रार्थी के पास नाम दुरूस्ती बाबत उपस्थित होने पर व अप्रार्थी द्वारा नाम दुरूस्त करने से इन्कार करते हुये माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाबत हिदायत देने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया का नाम जो सहवन से नुरका पुत्री नेनगा दर्ज हो गया है उसे दुरूस्त करवाये जाने बाबत अप्रार्थी को आदेशित किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. प्रार्थिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में रामभरोसी बाई पुत्री नेनगा, परमानन्द पुत्र गोपाल, मोहनलाल पुत्र रामगोपाल के सशपथ गवाह बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम शेरगढ के खाता संख्या 31 की जमाबन्दी संवत 2071–74 प्रदर्श 1, ग्राम पंचायत शेरगढ का प्रमाण पत्र दिनांक 16.05.2022 प्रदर्श 2, आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श 3ए, राशन कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श 4 ए, बैंक पासबुक की फोटोप्रति प्रदर्श 5ए, जनआधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श 6ए पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

4. अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम शेरगढ के खाता संख्या 31 कुल 11 किता की 2.12 है0 भूमि प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थिया का नाम नुरका पुत्री नेनगा सहवन से खाते में दर्ज हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थिया का वास्तविक नाम रामभरोसीबाई पत्नी रामप्रसाद पुत्री नेनगा है जो प्रार्थिया के सभी दस्तावेजों में अंकित है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाणित किया है। अतः उक्त विवादित आराजी में प्रार्थिया का नाम नुरका पुत्री नेनगा को दुरूस्त कर रामभरोसी बाई पुत्री नेनगा दर्ज किया जावे।

प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प शेरगढ में अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थिया का नाम शुद्धीपत्र पेश कर दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई एवं बहस के दौरान कथन किया गया कि नियमानुसार नाम दुरूस्त करने पर पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

5. अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम शेरगढ की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2071–74 (प्रदर्श 1) के खाता संख्या 31 के कुल किता 11 कुल रकबा 2.12 है0 आराजी नुरका पुत्री नेनगा के शामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड है जिसमें उसका हिस्सा 1/160 दर्ज है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, प्रदर्श 3ए से 5ए में प्रार्थिया का नाम रामभरोसी बाई पत्नि रामप्रसाद दर्ज है। जनआधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम रामभरोसी बाई अंकित है। ग्राम पंचायत शेरगढ के प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 दिनांक 16.05.2022 अनुसार रामभरोसी पुत्री नेनका एवं नूरका पुत्री नेनका जाति सहरिया दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। साक्ष्यवादी परमानन्द पुत्र गोपाल जाति सहरिया एवं मोहनलाल पुत्र रामगोपाल द्वारा सशपथ बयान किये है कि ग्राम शेरगढ के खाता संख्या 31 की 2.12 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम नुरका दर्ज है जो गलत है प्रार्थिया का सही नाम रामभरोसी बाई ही है जिसे दुरूस्त किया जावे।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रशासन गावों के संग केम्प में शुद्धी पत्र पेश कर प्रार्थिया का नाम नुरका के स्थान पर रामभरोसी बाई उर्फ नुरका करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त दस्तावेजों व साक्ष्यवादीयों के सशपथ बयानों से स्पष्ट है कि प्रार्थिया का सही नाम रामभरोसी बाई ही है।

6. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यों तथा पेरोकार सरकार की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थिया का नाम दुरूस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम शेरगढ तहसील अटरू के खाता संख्या 31 का ख.नं. 110 की 0.19 है0, ख0नं0 111 की 0.18 है0, ख0नं0 113 की 0.23 है0, ख0नं0 119 की 0.28 है0, ख0नं0 120 की 0.36 है0, ख0 नं0 176 की 0.11 है0, ख0नं0 177 की 0.22 है0, ख0नं0 178 की 0.14 है0, ख0नं0 180 की 0.07 है0, ख0नं0 183 की 0.16 है0, ख0नं0 184 की 0.18 है0 कुल 11 किता की 2.12 है0 भूमि में सहखातेदार नुरका पुत्री नेनगा के स्थान पर राम भरोसी उर्फ नुरका पुत्री नेनगा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां